संख्या: 94/2017/2327/33-3-2017-110/2012

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मिशन निदेशक , स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 18 अक्टूबर, 2017

विशय:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत सी.एल.टी.एस. में ट्रिगरिंग एवं फॉलोअप की गतिविधियां कर ग्रामों/ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त कराने वाली टीम को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1911/33-3-2015-110/2012 दिनांक 13 जुलाई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सी.एल.टी.एस. में ट्रिगरिंग एवं फॉलोअप की गतिविधियां कर ग्रामों/ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त कराने वाली टीम को प्रोत्साहन की धनराशि का भुगतान किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 13 जुलाई, 2016 के प्राविधानों के संबंध में विभिन्न जनपदों से समय-समय पर जिज्ञासा प्राप्त होती रहती है।

इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार स्वच्छता दूतों/स्वच्छाग्रहियों का मुख्य कार्य अन्तवैयक्तिक सम्प्रेषण, घर-घर जाकर सम्पर्क करना और अभिप्रेरित करना, लाभार्थी की पहचान करना, आई0ई0सी0 में सहायता करना, रिकॉर्डों का रख-रखाव करना तथा प्रगति की रिपोर्ट रखना आदि है। स्वच्छाग्रहियों में ट्रिगरिंग व निगरानी समिति के सदस्यों सहित ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जो परिवारों को शौचालय का निर्माण करने और उन्हें उसका सतत् प्रयोग करने के लिये

1.स्वच्छाग्रही की पात्रता

http://shasnadeshup.nic.in

प्रेरित करते हैं। इस संबंध में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शीर्ष समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिला स्वच्छता समिति स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत किसी को भी, जो स्वच्छता कार्य में रूचि ले रहा हो एवं सक्रिय योगदान दे रहा हो, को स्वच्छता दूत (स्वच्छाग्रही) को चयनित करने एवं उससे कार्य कराने तथा प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य करने हेतु स्वतंत्र होगी। इस प्रकार कोई भी सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मी यथा ग्राम रोजगार सेवक, सफाईकर्मी, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, पंचायत सचिव आदि को उनकी कार्य-कुशलता के आधार पर तथा गैर-सरकारी इच्छुक व्यक्ति यथा नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नागरिक सुरक्षा आदि के युवाओं/महिलाओं, जो स्वेच्छा से स्वच्छता जैसे सामाजिक कार्यों में रुचि लेकर कार्य करने को तत्पर हों और जो आम समुदाय के समक्ष बोलने, समझाने व संवाद एवं सम्पर्क स्थापित करने की दक्षता रखते हों, से स्वच्छाग्रही का कार्य लिया जा सकता है।

2.स्वच्छाग्रही की भूमिका

स्वच्छाग्रही की मुख्य भूमिका ट्रिगरिंग एवं फॉलोअप में सहयोग प्रदान करना, आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) की व्यवस्था सुदृढ़ कराने में सहयोग देना, मांग का सृजन कराकर लाभार्थी के चयन में सहयोग देना, शौचालय निर्माण हेतु प्रिशिक्षित राजमिस्त्री की व्यवस्था कराने में सहयोग देना, समुदाय की बैठकों के आयोजन में सहयोग देना, ग्राम में समय-समय पर स्वच्छता रैली, जागरुकता शिविर तथा गौरव यात्रा आदि के आयोजन में सहयोग देना और प्रत्येक दिन निगरानी समिति एवं ग्राम पंचायत से समन्वय कर प्रगति रिपोर्ट विकास खण्ड को भिजवाने में सहयोग देना आदि है।

3.निगरानी समिति की भूमिका

निगरानी समिति की मुख्य भूमिका सतत् रूप से सुबह शाम का फॉलोअप करना, ग्रामीणों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, पात्र एवं अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित करना, शौचालय निर्माण के साथ सामग्री की उपलब्धता में सहयोग करना, समय समय पर समुदाय, स्कूल व आंगनबाड़ी में बैठक कर व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, खुले में शौच से मुक्ति हेतु ग्राम सभा की बैठक में तिथि का निर्धारण करवाना, ओ0डी0एफ0 का स्तर प्राप्त करने के बाद उसको आगे सतत् रूप से जारी रखने हेतु लगातार निगरानी करवाना एवं शौच मुक्ति हेतु उत्सव का आयोजन आदि करवाना है।

(1) भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में यह उल्लेख है कि स्वच्छता दूतों सहित किसी भी व्यक्ति, जो शौचालयों का निर्माण कराने के लिये परिवारों को प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में खुले में शौच की प्रवृत्ति में बदलाव आता है, को प्रति शौचालय रू0 150/-

http://shasnadeshup.nic.in

की प्रोत्साहन धनराशि दी जा सकती है। तदनुसार शासनादेश संख्या 195/33-3-2015-110/2012 दिनांक 06 फरवरी, 2015 द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा निर्देश में यह निर्देश दिये गये हैं कि "स्वच्छता दूत द्वारा परिवार को जागरुक कर खुले में शौच से मुक्त करने पर प्रति परिवार रु0 150/- मानदेय दिया जाएगा। यह धनराशि दो चरणों में दी जायेगी।

4.पूल ऑफ फण्ड प्रथम चरण में मांग सृजन एवं निर्माण उपरान्त रू0 75/- तथा लाभार्थी द्वारा निरन्तर छः माह तक शौचालय प्रयोग करने की स्थिति में द्वितीय चरण में रू0 75/- दिया जायेगा। यह धनराशि जनपद के आई0ई0सी मद से व्यय की जायेगी।"

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 13 जुलाई, 2016 में यह भी प्राविधान है कि "सी0एल0टी0एस0 के अन्तर्गत ट्रिगरिंग, फॉलोअप में लगी टीमों को अधिकतम रू0 10,000/- प्रति ग्राम पंचायत प्रोत्साहन धनराशि के रूप में ओ0डी0एफ0 सत्यापन के उपरान्त जनपद स्तर पर उपलब्ध आई0ई0सी0 मद की धनराशि की सीमान्तर्गत जिला स्वच्छता समिति के अनुमोदनोंपरान्त दिया जा सकेगा।"

(3) साथ ही शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2015 के प्रस्तर 4.2.10 के उप-प्रस्तर (ii) में यह प्राविधान है कि राज्य स्तर पर आई0ई0सी0 हेतु मात्राकृत धनराशि में से 3.75 प्रतिषत धनराशि जनपद में ग्राम पंचायत, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर आई0ई0सी0/बी0सी0सी0/ आई0पी0सी0 की गतिविधियों को संचालित करने हेतु व्यय की जायेगी। इसी प्रकार उप-प्रस्तर (iii) में यह प्राविधान है कि राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण हेतु मात्राकृत धनराशि में से 0.75 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय की जायेगी।

इस प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता दूतों/स्वच्छाग्रहियों को प्रोत्साहन की धनराशि भुगतान करने हेतु उनकी अभिप्रेरणा से निर्माण कराये गये शौचालयों के लिये प्रति शौचालय रू0 150/- और ग्राम पंचायत के खुले में शौच मुक्त होने के उपरान्त ट्रिगरिंग व फॉलोअप में लगी टीमों को भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन की धनराशि रू0 10,000/- का 'पूल ऑफ फण्ड' उपलब्ध होगा परन्तु उक्त पूल ऑफ फण्ड आई0ई0सी0 गतिविधियों के लिए जनपद स्तर पर मात्राकृत 3.75 प्रतिषत की धनराशि की कुल सीमा के अधीन होगा। साथ ही अभिप्रेरणा से निर्मित शौचालयों के लिए भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन की धनराशि रू0 150/- प्रति शौचालय और ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित किये जाने पर ट्रिगरिंग व

http://shasnadeshup.nic.in

फॉलोअप में लगी टीमों को भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन की धनराशि रू0 10,000/- का भुगतान करने के उपरान्त आई0ई0सी0 गतिविधियों के लिए मात्राकृत 3.75 प्रतिषत की धनराशि की कुल सीमा के अधीन रखते हुए प्रोत्साहन के लिये यथापेक्षित अतिरिक्त धनराशि भी स्वच्छाग्रहियों को भुगतान करने का निर्णय जिला स्वच्छता समिति द्वारा लिया जा सकेगा।

5.प्रोत्साहन की धनराशि हेतु अनुमन्य गतिविधियाँ

जिला स्वच्छता समिति द्वारा गतिविधियां निर्धारित कर तथा उनसे संबंधित कार्यों को प्रमाणित कराकर उक्त पूल ऑफ फण्ड में से स्वच्छाग्रहियों को प्रोत्साहन की धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु गतिविधियों में उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित गतिविधियां भी सम्मिलित की जा सकती हैं:-

1. ट्रिगरिंग
2. निगरानी
3. विभिन्न स्तर की शासकीय बैठकों में सम्मिलित होना
4. ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त कराना
5. खुले में शौच मुक्त की निरन्तरता (ओ.डी.एफ. सस्टेनिबिलिटी)
6. फोटो अपलोडिंग तथा जियो टैगिंग कराने में सहायता
7. एम.आई.एस. में सहायता
8. बेस लाइन सर्वेक्षण एवं उसका अद्यावधिकरण।

जिला स्वच्छता समिति द्वारा प्रोत्साहन की धनराशि के भुगतान हेतु निर्धारित गतिविधियों एवं उनके लिए निर्धारित प्रतिबंधों/प्रक्रिया का अनुपालन हो जाने के उपरान्त अधिकतम 15 दिवस के अन्दर स्वच्छाग्रही को प्रोत्साहन की धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

अतः शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2015 तथा 13 जुलाई, 2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः-

1- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश ।

2- सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली।

3- अपर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पर्यावरण भवन, 12वां तल सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स लोधी रोड, दिल्ली।

4- निदेषक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पर्यावरण भवन, 12वां तल सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स लोधी रोड, दिल्ली।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, वित्त, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, सूचना, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

6- समस्त सदस्य, शीर्ष समिति स्टेट सैनिटेषन मिशन , उत्तर प्रदेश ।

7- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ।

8- स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

9- निदेशक पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश ।

10- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।

11- समस्त सदस्य, कार्यकारी समिति स्टेट सैनिटेशन मिशन , उत्तर प्रदेश ।

12- अध्यक्ष, समस्त जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश ।

13- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उ0प्र0।

14- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in